

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) **संडू घोटी**

पीठासीन अधिकारी :- **मनीषा हेद्या R.A.S.**

उनवान

कोजाराग कांडे

बनाम

मालाराम कांडे

दावा बाबत

विभाजन

मुकदमा नम्बर :-

निर्णय दिनांक :-

वादी की ओर से **कोजाराग कांडे** की व प्रतिवादी की ओर से **मालाराम कांडे**
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **23/5/18** को (नाम पीठासीन अधिकारी)

मनीषा हेद्या उपखण्ड अधिकारी, बीदासर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश
किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादीगण व वाद जारी रखने राजीनामा व विभाजन

उत्तराव उत्तर उत्तर अन्तिम डिक्री जारी किया जाता है कि वाद गत रिकत रेली सडूखडी

के ख० ल 203 व 239 क मश नाडाडी 45 बीघा 15 विष्वा को 38 बीघा हो

जिसमे मुनाबिक हिल्ला वाडी गण कोजाराग उत्तर नापूराग जाट निवड्डे खेरी

नहं बीदासर जिला दूर के हिल्ला पंती ख० सं. 239 मीन नाडाडी 7.0609

हकेमल उत्तरी पाली व वाडीगण सं. 2 गोमदलाग उत्तर नापूराग जाट निव

संडू घोटी नहं बीदासर जिला दूर के हिल्ला पंती ख० सं. 203 मीन

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **23/5/18** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

गई।



मनीषा हेद्या
उपखण्ड अधिकारी

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर.

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़